

Mansu Babu  
20/08/2022

# समाहरणालय, पटना

(कल्याण शाखा)

विकास भवन, तृतीय तल, पटना।

पत्रांक- 228 / जि.पि.अ.पि.व.क.दिनांक- 08 / 08 / 2022.

प्रेषक,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,  
पटना कॉलेज, पटना  
बी.एन. कॉलेज, पटना  
साइंस कॉलेज, पटना  
कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एण्ड साइंस, पटना  
✓ घाणिक्य महाविद्यालय, पटना  
द्वारिका कॉलेज, कंकड़बाग  
ए.एन. कॉलेज, पटना

विषय- जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, कंकड़बाग में छात्रों को उपलब्ध निःशुल्क आवासन एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु कंकड़बाग में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है जिसमें छात्रों को आवासन की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इसके अलावे बेड, गद्दा, तकिया, बेडशीट, मच्छरदानी निःशुल्क एवं सीसीटीवी निगरानी, आर०ओ० पानी, बिजली, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, वाई-फाई, आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आवासीय छात्रों को मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत 1000 रू० प्रतिमाह एवं खाद्यान्न योजना अंतर्गत 15 किलो अनाज निःशुल्क दी जाती है।

अतः अनुरोध है कि अपने-अपने महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना चिपकाने एवं अपने स्तर से छात्रों के बीच इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाने की कृपा की जाय ताकि जरूरतमंद और गरीब छात्र इसका लाभ उठा सकें। सुलभ प्रसंग हेतु कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में उपलब्ध रिक्तियों के विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

**बिहार सरकार**

**पटना समाहरणालय, पटना**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा**

**सूचना**

विद्यार्थी एवं/या शिक्षक एवं कार्यवाही विभाग, बिहार सरकार द्वारा पटना जिल्लाभागीय कल्याण समन्वयक इकाई, पटना द्वारा 2022-23 में एक-दिवसीय आदर्श कार्य शिविर का आयोजन एवं प्रवर्तन किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	कार्यवाही का नाम	कार्य	संख्या	दिनांक	स्थान
1	एक-दिवसीय आदर्श कार्य शिविर	एक दिवसीय शिविर	100	30	विद्यार्थी एवं/या कार्यवाही केन्द्र, पटना

कार्यवाही में भागग्राहकों को शामिल एवं शर्तें:-

1. कार्यवाही के आयोजन एवं प्रवर्तन का अधिकार केवल विद्यार्थी एवं/या शिक्षक वर्ग कार्यवाही केन्द्र, पटना और/या कार्यवाही केन्द्र, पटना के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा है।
2. अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही के आयोजन एवं प्रवर्तन का अधिकार कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा है।
3. एक कार्यवाही के अंतर्गत कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही के आयोजन एवं प्रवर्तन का अधिकार कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा है।
4. कार्यवाही के आयोजन एवं प्रवर्तन का अधिकार कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा है।
5. कार्यवाही के आयोजन एवं प्रवर्तन का अधिकार कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा है।
6. विद्यार्थी एवं/या कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही के आयोजन एवं प्रवर्तन का अधिकार कार्यवाही केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा है।

Ref. No. 0010 (District) 2022-23

**उप विकास आयुक्त,**  
**पटना।**

**नरो की माय, बचाव करे सूखी परिवार।**